प्रस्तावित – नियमावली

1. **<u>नामः–</u>** इस संस्था का नाम **<u>माहेश्वरी क्लब</u>** रहेगा।

2. **<u>पताः–</u>** इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में रहेगा, वहां संस्था के नाम का बोर्ड लगा रहेगा। क्लब के सभी रिकार्ड, कागजात व सामग्री आदि कार्यालय में रहेगी।

3. **उद्देश्यः–** समाज के नैतिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शारीरिक, उन्नति करना, प्राचीन एवं आधुनिक खेलों तथा शुद्ध साहित्य का प्रचार करना, परस्पर मिलन द्वारा सौहार्द स्नेह तथा प्रेम बढ़ाना।

    क. शिक्षा संस्थाओं का निर्माण एवं मदद लेना तथा संचालन करना।

    ख. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करना।

    ग. धर्मशाला एवं अतिथि गृहों का निर्माण एवं संचालन करना।

    घ. विकलांग एवं निःसहाय लोगों की तन, मन, धन से सेवा, संस्थाओं की स्थापना व मदद करना।

    ङ चिकित्सालय व अस्पताल निर्माण एवं संचालन करना, शिविर लगाना।

    च. बाल कल्याण की विधि योजनाओं को कार्यरूप देना।

    छ. समाज के पिछड़े वर्ग के युवाओं के उत्थान के लिए कार्य करना।

    ज. धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्यौहारों, वाद–विवाद, खेलकूद प्रतियोगिताओं आदि समारोहों का आयोजन करना।

    झ, बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, वृद्ध आश्रम खेलना व संचालन करना।

    ञ. साहित्य के प्रचार हेतु स्मारिका, पत्रिका एवं पुस्तकों आदि का प्रकाशन करना, सूची प्रकाशित करना, विवाह योग्य लड़के–लड़कियों का परिचय व सामूहिक विवाह आदि का आयोजन करना।

    ट. अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार धन एकत्रित करना एवं सभी प्रकार के उचित उपायों का अवलम्बन करना।

    ठ, किसी समान उद्देश्य की विचारधारा वाली संस्था के सहयोग से अथवा मिलकर कार्य करना।

    ड, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज में जाग्रति पैदा करना।

4, **सदस्यताः–**

    कोई भी वयस्क पुरुष या विवाहित व्यक्ति। क्लब के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रवेश शुल्क तथा क्लब के अन्य निर्धारित शुल्क देकर नियमानुसार सदस्य बनने योग्य होंगे।

5. **<u>क्लब के सदस्य तीन प्रकार के होंगे</u>ः–**

    क. **<u>आजीवन सदस्य</u>ः** कोई वयस्क पुरुष या विवाहित व्यक्ति।

    ख. **<u>साधारण सदस्य</u>ः** कोई भी वयस्क पुरुष या विवाहित व्यक्ति, साधारण सदस्य को प्रति वर्ष निर्धारित वार्षिक शुल्क देना होगा।

    ग. **<u>माननीय सदस्य</u>ः** ऐसे असाधारण विद्वान प्रतिभाशाली और विशिष्ठ व्यक्ति जिनसे क्लब के उद्देश्य पूर्ति की आशा हो उन्हें कार्यकारिणी अपने कार्यकाल की अवधि तक मनोनीत कर सकती है। ऐसे सदस्यों की संख्या किसी समय पांच से अधिक नहीं होगी। परन्तु इन सदस्यों को चुनाव लड़ने तथा मताधिकार नहीं होगा। उन्हें निर्धारित शुल्क देना अनिवार्य नहीं होगा।

6. **वर्तमान निर्धारित शुल्क**ः

1.	प्रवेश शुल्क	रू0	1,000 / –
2. (i)	आजीवन सदस्य	रू0	15,000 / – एक मुस्त
(ii)	आजीवन सदस्य के वयस्क पुत्र	रू0	10,000 / – एक मुस्त
3.	साधारण सदस्य	रू0	3,000 / – प्रति वर्ष।

कोई भी साधारण सदस्य क्लब का सदस्य रहने के पश्चात किसी भी कारणवश वार्षिक शुल्क नहीं देता है और ऐसा व्यक्ति दोबारा सदस्य बनने का इच्छुक है तो उसे दोबारा वार्षिक सदस्यता के लिए आवेदन पत्र, प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक शुल्क देना होगा और क्लब के नियमानुसार वो क्लब के सदस्य बनने योग्य होंगे।

7. **सदस्यता के नियम**ः

क. क्लब के सदस्य बनने के इच्छुक वयस्क पुरुष या विवाहित व्यक्ति को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर क्लब के किसी आजीवन सदस्यों (जिसकी तरफ क्लब का कोई शुल्क या रकम बकाया ना हो) द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित कराकर प्रवेश रकम तथा अन्य निर्धारित शुल्क के साथ मंत्री के पास भेजना होगा।

ख. आवेदन पत्र कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत होने पर ही आवेदक को सदस्य माना जाएगा। आवेदक व उसके स्पाउस को व्यक्तिगत् रूप से आजीवन सदस्य माना जाएगा।

ग. आजीवन सदस्य के अविवाहित पुत्र व पुत्री को निर्भर सदस्य माना जाएगा परन्तु ऐसे सदस्य को मताधिका नहीं होगा व कार्यकारिणी के सदस्य नहीं बन पायेगा।

घ. आवेदन पत्र अस्वीकृत होने पर आवेदक को आवेदन के साथ आयी हुई रकम वापस लौटा दी जाएगी।

ङ. बिना कोई कारण बताए कार्यकारिणी समिति आवेदन पत्र अस्वीकृत कर सकती है। इस सम्बंध में कार्यकारिणी समिति का निर्णय अन्तिम होगा और इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

8. **कार्यकारिणी का गठन**ः

क्लब के सम्पूर्ण कार्य की व्यवस्था एवं संचालन के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन निम्न प्रकार होगा व उसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

क, **पदाधिकारी**

सभापति	1
उपसभापति	2
मंत्री	1
उपमंत्री	1
कोषमंत्री	1

ख, **अन्य**

कार्यकारिणी सदस्य	22
संस्थापक सदस्य	1
मनोनीत सदस्य	5

गतवर्ष के सभापति 1

गतवर्ष के मंत्री 1

क्लब के आजीवन सदस्य अथवा साधारण सदस्य चुनाव प्रक्रिया के नियमानुसार सभापति के अलावा 5 पदाधिकारी व 22 सदस्यों का चुनाव करेगी।

निर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्य, क्लब के अन्य सदस्यों में से या कार्यकारिणी के निर्वाचित पदाधिकारी अथवा सदस्यों में से, सभापति को चुनेगी।

नव–निर्वाचित कार्यकारिणी समिति क्लब के आजीवन सदस्यों में से 5 सम्मानीय सदस्यों को अपने कार्यकाल की अवधि के लिये मनोनीत करेगी।

कार्यकारिणी समिति विभागीय मंत्रियों व उपमंत्रियों का चयन कार्यकारिणी सदस्यों में से करेगी।

गत वर्ष के सभापति व मंत्री साधारणतया नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के पदेन सदस्य (Ex-Officio Member) होंगे। परन्तु चुनाव में भाग लेने पर, यह कार्यकारिणी समिति के पदेन सदस्य बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे।

कोई भी स्थान किसी कारणवश रिक्त होने पर कार्यकारिणी समिति उस स्थान, को भर देगी।

कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यों को मतदान अधिकार होगा। कोई भी पदाधिकारी एक ही पद पर लगातार दो चक्र से अधिक नहीं रह सकता तथा कुल मिलाकर चार चक्र से अधिक एक ही पद पर नहीं रह सकता।

9 <u>पदाधिकारी की योग्यता</u>:–

क. <u>सभापति :–</u>

(i) की आयु कम से कम 40 वर्ष होनी अनिवार्य होगी।

(ii) 10 वर्ष के लिए क्लब का सदस्य होना अनिवार्य है।

(iii) को कम से कम चार चक्र के लिए कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।

ख. <u>उपसभापति :–</u>

(i) की आयु कम से कम 40 वर्ष होनी अनिवार्य होगी।

(ii) 10 वर्ष के लिए क्लब का सदस्य होना अनिवार्य है।

(iii) को कम से कम चार चक्र के लिए कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना अनिवार्य हैं

ग. <u>मंत्री :–</u>

(i) 5 वर्ष के लिए क्लब का सदस्य होना अनिवार्य है।

(ii) को कम से कम तीन चक्र के लिए कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।

घ. <u>उपमंत्री :–</u>

(i) 3 वर्ष के लिए क्लब का सदस्य होना अनिवार्य है।

(ii) को कम से कम दो चक्र के लिए कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।

ङ **कोषमंत्री :–**

(i) 5 वर्ष के लिए क्लब का सदस्य होना अनिवार्य है।

(ii) को कम से कम दो चक्र के लिए कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।

10. **क्लब के अधिवेशनः**

क. **वार्षिक अधिवेशन**ः–इस अधिवेशन में कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाएगी तथा जांचा हुआ आय–व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिवेशन में कम से कम 61 सदस्यों की उपस्थिति कोरम समझी जाएगी। किसी भी कारणवश कोरम पूरा नहीं हुआ तो अधिवेशन को आधा घन्टे के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। उसके पश्चात अधिवेशन का कोरम 31 सदस्यों का मान्य होगा। अधिवेशन स्थगित होने पर भी कोरम पूरा न होने पर सभा को स्थगित कर दिया जाएगा और मंत्री 7 दिन में दोबारा यह अधिवेशन बुलायेगा।

ख. **विशेष अधिवेशनः–**

(i) विचारणीय विषय पर मंत्री आवश्यकतानुसार विशेष अधिवेशन बुला सकता है।

(ii) क्लब में कम से कम 31 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ विचारणीय विषय सहित लिखित मांग आने पर मंत्री 15 दिन के अन्दर विशेष अधिवेशन बुलाने हेतु बाध्य होगा। ऐसे अधिवेशन का कोरम 61 सदस्यों का होगा। मंत्री द्वारा 15 दिन में ऐसा अधिवेशन न बुलाने पर सभापति 7 दिन के भीतर ऐसा अधिवेशन बुलाने पर बाध्य होगा।

(iii) सभापति द्वारा 7 दिन के भीतर ऐसा अधिवेशन न बुलाने पर, (Requisitionist) हस्ताक्षर करने वाले सदस्य 10 दिन में अपने नाम से क्लब के सदस्यों को 15 दिन की सूचना देकर ऐसा विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं।

11. **कार्यकारिणी समिति के अधिवेशनः–**

क. कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन आवश्यकतानुसार हुआ करेंगे। पर दो महीने में एक अधिवेशन बुलाना अनिवार्य होगा। कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन में कम से कम 12 सदस्यों की उपस्थिति कोरम समझी जाएगी। कोरम न होने पर मंत्री 7 दिन के भीतर अधिवेशन बुलाने को बाध्य होगा।

कार्यकारिणी समिति के 12 सदस्यों की लिखित मांग आने पर मंत्री सात दिन के भीतर अधिवेशन बुलाने पर बाध्य होंगे। उक्त अवधि के अन्दर मंत्री द्वारा अधिवेशन न बुलाए जाने पर उन सदस्यों द्वारा लिखित मांग आने पर सभापति भी अधिवेशन न बुलायें तो (Requisitionist) हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि 15 दिन में अपने नाम से अधिवेशन बुला लें। ऐसे अधिवेशन का कोरम कम से कम 15 सदस्यों का होगा। ऐसे अधिवेशन में केवल उन्हीं विषयों पर चर्चा होगी, जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है व इस तरह के अधिवेशन स्थगित नहीं होंगे।

12. **अधिवेशन की सूचनाः–**

क. कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन की सूचना 5 दिन पूर्व एवं साधारण तथा विशेष अधिवेशन की सूचना 15 दिन पूर्व सदस्यों के पास भेजी जाएगी। अत्यावश्यक समझने पर मंत्री किसी भी अधिवेशन को 24 घन्टे की सूचना देकर भी बुला सकता है।

ख. सूचना, डाक, टेलीफोन, ई–मेल, एस.एम.एस., समाचार पत्र, चपरासी या अन्य किसी भी प्रकार से भेजी जा सकती है।

ग. यदि किसी सदस्य को किसी कारणवश किसी अधिवेशन की सूचना न मिली हो तो वह अधिवेशन अवैध नहीं समझा जाएगा।

13. **कार्यकारिणी समिति के कर्तव्यः–**

क. आय–व्यय के हिसाब को पास कर साधारण सभा को स्वीकृतार्थ भेजना।

ख. क्लब के आये हुए आवेदन–पत्रों और त्याग पत्रों पर निर्णय लेना।

ग. आवश्यकतानुसार समितियों एवं उपसमितियों को बनाना।

घ. वार्षिक एवं सामान्य रिपोर्ट स्वीकृत करना तथा वार्षिक साधारण तथा विशेष अधिवेशन बुलाना

ङ कार्यकाल के दौरान किसी भी कारणवश सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।

च. क्लब के नियमों में आवश्यक परिवर्तन या संशोधन के सुझाव साधारण सभा को स्वीकृतार्थ भेजना।

छ. क्लब के सभी कार्यों का पूरा प्रबंध करना।

ज. विभागीय मंत्रियों एवं संयोजकों को मनोनीत करना।

झ. वार्षिक बजट एवं पूरक बजट खर्चे से पूर्व स्वीकृत करना।

ञ. सदस्यता शुल्क में परिवर्तन करने पर सदस्यों के साधारण या विशेष अधिवेशन में स्वीकृतार्थ भेजना एवं स्वीकृत होने पर लागू करना।

ट. यदि कोई कार्यकारिणी पदाधिकारी या सदस्य तथा मनोनीत सदस्य बिना कारणवश तथा मंत्री को सूचना दिये बगैर लगातार तीन अधिवेशन में अनुपस्थित रहे तो मंत्री इसकी सूचना कार्यकारिणी समिति को देगा। कार्यकारिणी का समिति के आदेशानुसार, मंत्री अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारी या सदस्य को कारण बताओ नोटिस भेजेगा। ऐसे सदस्य नोटिस के बाद भी अगर नोटिस का उत्तर नहीं देते हैं या उसके बाद भी अगले अधिवेशन में उपस्थित नहीं होते हैं तो कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि उक्त स्थान को रिक्त घोषित करके उस स्थान की पूर्ति किसी सदस्य का चयन करके करे।

ठ कार्यकारिणी यदि उचित समझे तो किसी कार्य या विभाग पर प्रतिबंध लगा सकती है।

ड क्लब की कार्यकारिणी समिति चाहे तो किसी समान उद्देश्य की विचारधारा वाली संस्था के सहयोग से अथवा मिलकर कार्य कर सकती है।

कार्यकारिणी समिति का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य, समिति के पचास प्रतिशत अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में ऐसे पद/सदस्य अगले चुनाव में किसी भी पद के लिये चुनाव नहीं लड़ पायेगा।

(i). <u>सभापति के कर्तव्य</u>

क. समय पर सभी अधिवेशनों में उपस्थित होना, क्लब की सभी कार्यवाहियों का उचित सम्पादन व निरीक्षण और संचालन करना।

ख. धारा 9 व 10 के अनुसार की गई मांग पर अधिवेशन बुलाना।

ग. बराबर मतदान होने पर सभापति निणार्यक मत दे सकते हैं।

घ. कार्यकारिणी की स्वीकृति के बिना 20,000/– से अधिक खर्च न करना।

(ii). **उपसभापति के कर्तव्य**

सभापति की अनुपस्थिति में अधिवेशनों का संचालन करना एवं सभापति के सभी कर्तव्य का पालन करना।

(iii). <u>मंत्री के कर्तव्यः</u>

क. नियमानुसार अधिवेशन बुलाना तथा पिछले अधिवेशन के विवरण को कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तथा स्वीकृत करवाना।

ख. क्लब के समस्त कार्यों का संचालन करते हुए क्लब के प्रति अपना पूर्ण उत्तरदायी समझना।

ग. कार्यकारिणी की स्वीकृति के बिना 10,000/– से अधिक खर्च न करना।

घ. आवश्यकतानुसार वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी करने के पूर्व कार्यकारिणी को सूचित करना।

ङ नियमावली की धारा 9 व 10 के अनुसार अधिवेशन बुलाना।

च, आवश्यक पत्र–व्यवहार करना।

छ. कार्यकारिणी समिति के आदेशानुसार क्लब के सभी कार्य करना।

ज वार्षिक चुनाव की पूर्ति होने पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का प्रथम अधिवेशन 15 दिन के भीतर अवश्य बुलाना।

झ, नव–निर्वाचित मंत्री को 10 दिनों के भीतर कार्यभार तथा क्लब के सभी दस्तावेज सौंपना।

ञ, किसी कार्य में मतभेद होने पर सभापति का निर्णय मानना।

iv. <u>उप–मंत्री के कर्त</u>व्यः–

क्लब के सभी कार्यों में मंत्री को सहयोग देना और उनकी अनुपस्थिति में पूर्ण दायित्त्व के साथ सभी कार्यों को करना।

v . <u>कोष मंत्री के कर्तव्यः</u>–

क. क्लब के कोष को पूर्ण दायित्त्व के साथ संभालना।

ख. क्लब के आय–व्यय का पूरा हिसाब रखना।

ग. त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, नौमासिक एवं वार्षिक आय–व्यय का आंकड़ा एक माह के अन्दर कार्यकारिणी में पेश करना।

घ. वर्ष समाप्त होने पर दो मास के अन्दर क्लब का वार्षिक हिसाब तैयार करना तथा क्लब द्वारा निर्वाचित परीक्षक द्वारा हिसाब जंचाकर कार्यकारिणी समिति से स्वीकृत करवाना।

ङ	सभापति अथवा मंत्री के आदेश पर रुपया देना।

च	चंदा व शुल्क वसूल करना एवं उनकी रसीदें अपने हस्ताक्षर सहित देना।

छ.	वर्ष प्रारम्भ होने के 15 दिन के अन्दर मंत्री के सहयोग से गत वर्ष के आय–व्यय एवं कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए नये वर्ष का बजट व आवश्यक होने पर पूरक बजट तैयार करना व कार्यकारिणी से स्वीकृत करवना।

ज	नव–निर्वाचित कोषमंत्री को 10 दिनों के भीतर कार्यभार तथा क्लब के सभी दस्तावेज सौंपना।

झ.	21 दिन से अधिक अनुपस्थिति होने की सम्भावना हो तो अपना कार्यभार कार्यकारिणी, सभापति एवं मंत्री की सम्मति से कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य को उक्त अवधि के लिए कार्यभार दे देना।

vi. <u>विभागीय मंत्री के कर्तव्यः</u>–

क.	विभाग सम्बंधी सभी कार्यों का पूर्ण रूप से संचालन करना।

ख.	समय–समय पर विभाग के सभी कार्यों से कार्यकारिणी तथा मंत्री को अवगत कराना।

ग.	चालू विभागीय पद्धति एवं नियमों को मंत्री की सलाह एवं जानकारी देकर आवश्यकता पड़ने पर बदलना।

घ.	मंत्री के आदेशानुसार विभाग के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए सभी आवश्यक कार्य करना।

ङ	किसी कार्य में मतभेद होने पर सभापति का निर्णय मानना।

14.	<u>कोषः</u>–क्लब के कोष तीन प्रकार के होंगे, साधारण, स्थाई एवं विशिष्ट।

क.	**<u>साधारण कोषः</u>** क्लब के साधारण कोष में चन्दा तथा विशेष सहायता द्वारा एकत्रित धन जिसका वर्णन स्थाई कोष के नियम में नहीं है, संग्रह किया जा सकेगा। क्लब के उद्देश्यों तथा लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से इस कोष को व्यवह्रत किया जा सकेगा।

ख.	**<u>स्थाई कोषः</u>** निम्नलिखित धनराशि स्थाई कोष में जमा रहेगी जिसका केवल ब्याज ही कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से व्यय किया जाएगा।

(i)	आजीवन सदस्य से प्राप्त चन्दा।

(ii)	वो रकम जिसे कार्यकारिणी समिति ने स्थायी कोष में बदल दिया हो।

(iii)	वो रकम जो केवल स्थाई कोष के लिए ही प्राप्त हुई हो।

(iv)	प्रवेश शुल्कः को रकम जो क्लब की सदस्यता हेतु जमा की गई हो।

स्थाई कोष या उसके अंश को खर्च करना अगर अनिवार्य हो जाये तो कार्यकारिणी समिति के अनुरोध पर साधारण सभा की स्वीकृति मिलने पर ही खर्च किया जा सकेगा।

ग. **विशिष्ट कोष**:

(i) किसी विशष्ट कार्य के लिए एकत्रित किया हुआ कोष सामान्यत उसी मद में खर्च किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश उस कोष की रकम को अन्य कोष में परिवर्तित करना हो तो ऐसा साधारण सभा की स्वीकृति से ही हो सकेगा।

(ii) वो रकम जो व्यक्ति विशेष के नाम से निर्मित कोष से जमा हो तथा वो रकम जो किसी विभाग विशेष के संचालन हेतु संगठित की गई हो।

15. **बैंक खाता एवं निवेष**:–

क्लब के बैंक खाते में दो समूह (ग्रुप) हस्ताक्षर कर सकते हैं

(1) सभापति / उपसभापति

(2) मंत्री / कोषमंत्री दोनों समूह (ग्रुप) से एक हस्ताक्षर अनिवार्य हैं व किसी भी तरह की रकम निकालना व जमा करने में भी यही समूह (ग्रुप) मान्य होगा।

16, **चुनाव**:–

क. कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त होने से एक महीना पहले अथवा दो महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा।

ख. क्लब के प्रत्येक आजीवन सदस्य तथा आजीवन दम्पत्ति सदस्य को मताधिकार होगा। आजीवन सदस्य दम्पत्ति (पत्ति पत्नी) को अलग–अलग मताधिकार होगा।

(i) कोई भी आजीवन सदस्य क्लब की कार्यकारिणी समिति के किसी पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकारी होगा।

(ii) किसी भी आजीवन सदस्य का गत वर्ष का शुल्क या अन्य किसी प्रकार की कोई रकम बकाया होंगी तो ऐसे सदस्य किसी भी पद के लिये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तथा उन्हें मताधिकार भी नहीं होगा।

ग. मतदान होने की आवश्यकता पड़ने पर चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा।

घ. चुनाव की उचित व्यवस्था के लिए क्लब की कार्यकारिणी सभा चुनाव कम से कम 30 दिन पूर्व क्लब के आजीवन सदस्यो ंमें से किन्हीं 5 सदस्यों की एक सर्वाधिकार सम्पन्न चुनाव समिति का गठन करेगी जिसमें एक सदस्य संयोजक होगा।

ड़ संयोजक आवश्यकतानुसार समिति का अधिवेशन बुलायेगा । समिति के किसी सदस्य द्वारा लिखित अनुरोध आने पर संयोजक को अधिवेशन बुलाना होगा, किन्तु उनके ऐसा न करने पर समिति के किन्हीं दो सदस्यों द्वारा लिखित सूचना देकर अधिवेशन बुलाया जा सकेगा।

च (i) समिति का कोरम 3 सदस्यों का होगा।

(ii) समिति के संयोजक तथा अन्य सदस्य चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेगा।

(iii) किसी उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित व अनुमोदन नहीं कर सकेंगे।

(iv) चुनाव प्रचार में किसी भी तरह भाग नहीं ले सकेंगे।

छ. चुनाव सम्बंधी सभी कागजात एवं रिकॉर्ड की पूर्ति एवं आवष्यकतानुसार सभी सामान की उपलब्धि की जिम्मेदारी मंत्री की होगी तथा चुनाव समिति के सभी कार्यों के सम्पादन कराने की जिम्मेदारी चुनाव संयोजक की होगी।

ज. चुनाव समिति चुनाव दिवस से कम से कम 21 दिन पूर्व चुनाव की लिखित सूचना चुनाव समय–सारिणी भेजना अनिवार्य होगा।

झ. चुनाव लड़ने का इच्छुक कोई भी सदस्य किसी भी पद के लिए निर्धारित मनोनयन पत्र भरकर अपने हस्ताक्षरों के साथ, प्रस्तावक व अनुमोदक के हस्ताक्षरों सहित बन्द लिफाफे में निर्धारित समय तथा तिथि से पहले, चुनाव समिति के संयोजक या किसी सदस्य को देकर रसीद प्राप्त कर ले।

चुनाव समिति निर्धारित तिथि तक आये मनोनयन पत्रों की एक सूची तैयार करा के मंत्री को क्लब भवन के सूचना पट **नोटिस बोर्ड** पर लगाने के लिए देगी। चुनाव समिति अगर उचित समझे तो यह सूचना किसी अन्य माध्यम से भी भेज सकेगी।

परीक्षण के पश्चात् उम्मीदवारों की सूची मंत्री के माध्यम से क्लब सूचना पट **नोटिस बोर्ड** पर लगाया जाएगा।

(i) चुनाव समिति अगर उचित समझे तो यह सूचना किसी अन्य माध्यम से भी भेज सकती है। चुनाव समिति पूर्व सूचना के बाद सभी मनोनयन पत्रों की परीक्षण करेगी और मनोनयन पत्र में कोई अपूर्णता होने पर उन्हें अवैध घोषित कर देगी। चुनाव समिति का यह फैसला सबको मान्य होगा।

य, कोई भी उम्मीदवार केवल एक ही पद के लिये चुनाव लड़ सकेगा। अगर कोई उम्मीदवार एक पद से अधिक पद के लिये मनोनयन पत्र दाखिल करता है तो उसे प्रत्याहरण (Withdrawl) से पहले एक पद के अलावा अन्य सभी पदों के सारे मनोनयन पत्र वापिस लेने होंगे।

अगर वह उम्मीदवार प्रत्याहरण (Withdrawl) की तिथि से पहले बाकी मनोनयन पत्र का प्रत्याहरण नहीं करता तो उसके सारे मनोनयन पत्र अवैध घोषित माने जायेंगे और यह उम्मीदवार किसी भी पद के लिये चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

प्रत्याहरण (Withdrawl) की तारीख के पश्चात्चुनाव समिति के संयोजक उम्मीद्वार की फाईनल लिस्ट तैयार करके मंत्री को क्लब भवन में सूचना पट **नोटिस बोर्ड** पर प्रदर्षित करेंगे।

र मतदान की आवश्यकता होने पर वो विभिन्न पदों के चुनाव के लिये आवश्यकतानुसार चुनाव पत्र छपवाकर अपने हस्ताक्षर के साथ समिति के अन्य सदस्यों को मतदान कराने के लिये देंगे।

चुनाव दिवस पर निर्धारित समय–सीमा के अनुरूप चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा।

(i)- कोई भी उम्मीदवार तथा सदस्य चुनाव के दौरान झूठा व गलत प्रचार, गलत मतदान, अनुशासनहीनता तथा अभद्र व्यवहार नहीं करेगा।

(ii)- यदि किसी सदस्य द्वारा चुनाव में किसी प्रकार की अनियमितता की गई हो तो लिखित अभियोग समिति के समक्ष मतदान अवधि तक प्रस्तुत किया जा सकता है। समिति इस सम्बंध में आवश्यक जाँच–पड़ताल एवं विचार–विमर्श के पश्चात् जो भी निर्णय लेगा, वह अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

(iii)- मतदान के पश्चात्, मतदान पेटियां खोलकर सबके सामने मत पत्रों की गिनती करेगा। गिनती पूरी होने पर चुनाव फल घोषित करके निर्वाचित उम्मीदवार के नाम की सूची अपने तथा समिति के अन्य मौजूदा सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ मंत्री को क्लब के सूचना पट **नोटिस बोर्ड** पर सूची प्रदर्षन के लिये दे देंगे। किसी भी मतपत्र की वैधता चुनाव समिति के संयोजक व सदस्यों का फैंसला सबके द्वारा मान्य माना जाएगा और उक्त फैंसलों को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(iv)-मतदान के उपरान्त इस्तेमाल हुए पत्र नवनिर्वाचित मंत्री को सौंप दिये जाएंगे। मंत्री उन्हें 15 दिन तक अपने पास रखकर बाद में नष्ट कर देगा।

<u>विविधः–</u>

17. जिन सदस्यों का पिछले वर्ष का चन्दा बाकी रहेगा, उसका नाम कार्यकारिणी समिति द्वारा लिखित सूचना देकर सदस्य श्रेणी से पृथक कर दिया जायेगा, वे यदि पुनः सदस्य बनना चाहेंगे तो उन्हें नया आवेदन पत्र एवं पहला बकाया शुल्क देना होगा। बकाया शुल्क देने पर ही उनका नाम कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से सदस्य श्रेणी में लिखा जा सकेगा।

18. यदि निर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सदस्य अथवा साधारण सदस्य ने कोई ऐसा अनुचित कार्य किया हो, जो क्लब की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं हो या जिससे क्लब को हानि पहुंचने की सम्भावना हो तो क्लब की कार्यकारिणी समिति उस सदस्य पर अनुशासन की कार्यवाही कर सकती है। दोषी पाए जाने पर ऐसे सदस्य को पद से या क्लब की सदस्यता से साधारण सभा की स्वीकृति द्वारा निष्कासित कर सकती है।

19. क्लब की सदस्यता छोड़ने पर या पद त्यागने की सूचना मंत्री के पास लिखित देनी होगी। उपरोक्त सूचना के बाद कार्यकारिणी समिति अपने अगले अधिवेशन में उप पर विचार–विमर्श करके अपना निर्णय लेगी। क्लब की सदस्यता छोड़ने या कार्यकारिणी समिति का पद त्यागने की अर्जी कार्यकारिणी समिति मंजूर करने पर ऐसे सदस्य की क्लब की सदस्यता से अथवा कार्यकारिणी समिति के पास कार्यकारिणी समिति की सदस्यता से निष्कासित माना जायेगा।

20. क्लब के सभी कार्य साधारणतः हिन्दी भाषा, देवनागरी लिपि में हुआ करेंगे।

21. क्लब के वे सब कार्य जिनके लिए नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है, कार्यकारिणी समिति के बहुमत से हुआ करेंगे।

22. किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता होने पर कार्यकारिणी समिति की आज्ञा से मंत्री या अन्य कोई व्यक्ति जिस पर कार्यकारिणी समिति भार सौंपे वह आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा।

23. नियमावली में परिवर्तन परिवर्धन एवं संशोधन करने का अन्तिम अधिकार साधारण सभा को ही होगा।

24. नियमावली में परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन करने हेतु बुलाए गए अधिवेशन में कोरम कम से कम कुल सदस्यों का पांचवा हिस्सा, व कुल उपस्थिति सदस्यों के तीन चौथाई सदस्यों की स्वीकृत से ही किसी भी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन एवं संषोधन किया जा सकेगा।

25, क्लब के किसी भी कार्यक्रम में जुआ, शराब एवं निरामिष भोजन का प्रयोग नहीं होगा। यदि कोई सदस्य ऐसा करते हुए पाया गया तो उस पर अनुशासन कार्यवाही कर कार्यकारिणी उसे सदस्यता से अलग कर सकती है।

26. क्लब का कोई भी कार्य क्लब के नियमों एवं उद्देश्यों के विपरीत नहीं होगा।

27. **शोक व बधाई संदेश पत्र**:—मंत्री समाज के किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को शोक व बधाई संदेश पत्र भेज सकते हैं।

28. **शोक सभा व प्रस्ताव**:—

    क. क्लब के संस्थापक सदस्य, सभापति, उपसभापति, मंत्री (भूतपूर्व व वर्तमान) वर्तमान पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य, एवं विशिष्ट नेता के निधन पर मंत्री शोक सभा का आयोजन करेगा।

    ख. क्लब के सदस्य एवं समाज के विशिष्ट व्यक्ति के निधन पर मंत्री शोक प्रस्ताव पारित करवाकर मृतक के परिवार वालों को शोक प्रस्ताव भेजेगा।